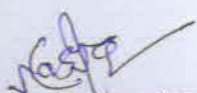


प्रस्तावित पारेषण लाइन निर्माण से प्रभावित संरक्षित वन भूमि के N.P.V. मूल्य का निर्धारण

ओबरा-सी बदायूँ ट्रांसमिशन लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित 400 के०वी० डबल सर्किट जौनपुर-ओबरा पारेषण लाइन के निर्माण से मीरजापुर वन प्रभाग की 46.879 हे० आरक्षित एवं संरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी। प्रस्तावित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (N.P.V.) भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्रांक F.No. -5-3/2007-F.C. दिनांक 05.02.2009 द्वारा इको क्लास-(III) (खुला वन) में हरियाली घनत्व के अनुसार निर्धारित एन०पी०वी० रू० 6.26 लाख प्रति हे० की दर से रू० 6.26 लाख X 46.879 हे० = रू० 2,93,46,254.00 (दो करोड़ तिरानबे लाख छियालिस हजार दो सौ चौवन रूपये मात्र) का भुगतान प्रस्ताव की सैद्धान्तिक स्वीकृती के उपरान्त याचक विभाग द्वारा कैम्पा को देय होगा एवं यदि एन०पी०वी० की धनराशि में उक्त अवधि में वृद्धि होती है तो उक्त बढ़ी हुई धनराशि को अदा करने हेतु ओबरा सी-बदायूँ ट्रांसमिशन लिमिटेड बाध्य होगा।


प्रमुख वन अधिकारी
बिधुप्रकाश सिंह


क्षेत्रीय वन अधिकारी
सुकुत रेंज


प्रभागीय वनाधिकारी
मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर


क्षेत्रीय वन अधिकारी
मण्डहान रेंज
मीरजापुर वन प्रभाग


क्षेत्रीय वन अधिकारी
चुनार रेंज


उप प्रभागीय वनाधिकारी
चुनार